



PBR/निग/धर/भू.रा./2017/2279
माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

शोभाराम पिता गणपत जाति कुलमी
निवासी- ग्राम आहु तहसील व जिला धार

— अपीलांट

विरुद्ध

श्री पी.जी. पाठक
मो. 98317
श्री. वी. मधुसूदन
प्रस्तुत दिनांक
18-2

- 1- श्रीमती धापुबाई पति जगन्नाथ जाति कुलमी
- 2- देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति कुलमी
- 3- ठाकुरलाल पिता जगन्नाथ जाति कुलमी
- 4- प्रेमचंद पिता गणपत जाति कुलमी
- 5- रामेश्वर पिता गणपत जाति कुलमी
- 6- सावित्रीबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी
- 7- रोहित पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी

सभी निवासी- ग्राम आहु तहसील व जिला धार

- 8- पार्वतीबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी
निवासी- भक्ताम्बर कालोनी धार जिला धार
- 9- सुमित्राबाई पिता दुर्गाशंकर जाति कुलमी
निवासी- ग्राम कुसावदा तहसील बदनावर जिला धार।
- 10- श्रीमती रतनबाई पति मोहनलाल (पिता स्व. जगन्नाथ) जाति कुलमी
निवासी- ग्राम बडवेली तहसील सरदारपुर जिला धार

— रिस्पांडेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् नायब तहसीलदार धार के द्वारा प्रकरण क्र. 12/अ-27/16-17 में अपनाई जा रही अवैधानिक कार्यवाही तथा प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 01/04/2017, 24/04/2017 एवं 24/05/2017 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत की जा रही है :-

(Handwritten signature)

PB2/क्रिग/अनर/अ.श/2017/2279 (धाम)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों आदि	गभिभावकों रक्षक
19-7-2017	<p>आवेदन की ओर से श्री विक्रान्त डोलकर, अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही में उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अतः तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें। उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जा रहा है।</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष